459

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 1998 (श्रावण 7, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पुछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) वित्त लेखे वर्ष 1996-97,
(ख) विनियोग लेखे वर्ष 1996-97,
(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 4 (सिविल),
(घ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन क्रमांक 3 (सिविल),
(ड.) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 2 (राजस्व प्राप्तियां), तथा
(च) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 1 (वाणिज्यिक)

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे -

(क) क्रमांक एफ 4-4-98-आठ, दिनांक 25 मई, 1998,
(ख) क्रमांक एफ 4-21-97-आठ, दिनांक 26 मई, 1998, तथा
(ग) क्रमांक एफ 4-2-98-आठ, दिनांक 27/29 जून, 1998.

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बाबूलाल गौर, डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बाबई में स्थित राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रक्षेत्र को शासन द्वारा विक्रय किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर स्थित राजकुमार मिल के श्रमिकों को वेतन का पूर्ण भुगतान न होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के -

(क) ग्राम कटेंगा टोला के भर्रीपारा में बिजली लगाये जाने,
(ख) ग्राम ग्वालडन में बिजली लगाये जाने,
(ग) ग्राम रंगीटोला उर्फ चिचोला के वार्ड तेरह में बिजली लगाये जाने,
(घ) ग्राम ब्राम्हण भेड़ी के टोलागांव टोले में बिजली लगाये जाने,
(ड.) ग्राम ब्राम्हण मासूल में बिजली लगाये जाने,
(च) ग्राम जैसिंहटोला के पथरा टोला में बिजली लगाये जाने, एवं
(छ) ग्राम कचकोहड़ा (टोपाटोला) में बिजली लगाये जाने, तथा

(2) श्री रमेश शर्मा "गुड्डू भैया", सदस्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में एम.ए. मनोविज्ञान विषय की कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. परिवहन मंत्री का वक्तव्य

श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, दिनांक 20 मार्च, 1997 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 3409) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध मे वक्तव्य देंगे.

6. वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 18 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 19 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 21 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(4) श्री अशोक राव, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 17 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में हैजा, मलेरिया, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, गलघोटू आदि संक्रामक बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, बृजमोहन अग्रवाल, चिरोंजीलाल सोनकर, सुरेन्द्र वर्मा, नेमीचन्द जैन, रणजीत सिंह गुणवान, गिरिराज मण्डलोई, कमल पटेल, मुनिराम साहू, लक्ष्मीकांत शर्मा, रामलखन सिंह (त्योंथर), सोनेराम कुशवाह, चन्द्रप्रकाश बाजपेयी तथा श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक 28 जुलाई, 1998